न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
8/11/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 13/11/24 को पेश हो। रीडर 13/11/24 पत्रावली पेश वकील वादी उप. वास्ते तलबी रिपोर्ट 24/3/25 नियत की। SDO 24/09/2025 हड़ताल एडवोकेट्स पत्रावली पेश हुई। वास्ते तलबी पत्रावली दिनांक 29/10/2025 को पेश हो। S.D.O. 29/10/25 पत्रावली पेश वकील वादी उप. वकील वादी द्वारा पत्रावली पर Not press करते हुए उसे खारिज करने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली Not Press में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर जावे हो। SDO	Not Press (3) [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

भौंती देवी बनाम गिरराज

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 197 / 2024

14.08.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 798 रकबा 0.16, 798/1 रकबा 0.07 किता 2 रकबा 0.23 हैक्टेयर वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी से वादीनी को उसके हिस्से की आराजी से जबरन बेदखल नही करे। और ना ही आराजी विवादित को किसी प्रकार से नुकसान पहुचाये और ना ही किसी प्रकार का झगडा फिसाद करे तथा जब तक उक्त विवादित आराजी का विधिवत बटवारा नही हो जाता तब प्रतिवादीगण, वादीनी को उसके हिस्से की आराजीयात को जोतने–बोने–काटने लाने–ले–जाने , रखने–करने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना करे और ना को झगडा फिसाद करे तथा ना ही विवादित भूमि पर कब्जा कर विशिष्ट भू–भाग पर किसी प्रकार का निर्माण करे और ना ही उक्त आराजी को रहन, बैय हिबा इत्यादि से वो अन्य किसी प्रकार से मुंतकिल करे और प्रतिवादी संख्या 20 के समक्ष उक्त आराजी बाबत कोई दस्तोवज पेश होने पर पंजीवद्ध नही करे तथा किसी प्रकार का अन्तरण का दस्तावेज पेश होने पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही करे। इस आशय की डिकी वादीनी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे। अन्त में विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति यथावत् बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि उक्त वर्णित विवादित आराजी हम पक्षकारान की संयुक्त आराजी है। उक्त विवादित आराजी का हम पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से बटवारा नही हुआ है। इसलिए वादीगण आराजी का बटवारा मौके पर अच्छी में से अच्छी वो बुरी में से बुरी किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण को उनके हिस्से अनुसार कब्जा प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है।जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार सुरक्षित रहे। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 798 रकबा 0.16, 798/1 रकबा 0.07 किता 2 रकबा 0.23 हैक्टेयर वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे।इस संबंध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 11.09.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	11-09-24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 08/11/24 को पेश हो। रीडर
	8/11/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक........ को पेश हो। 13/11/24 रीडर
	13/11/24 पत्रावली पेश। वकील वादी उप० वास्ते तलबी जवाब आइन्दा को पेश हो SDO
	24/09/2025 आज पत्रावली इकजाई तारीख पेशी से पेश हुई। वकील वादी उप०। वास्ते तलबी दिनांक 29/10/2025 को पेश हो। S.D.O.
Not pl.	29/10/25 पत्रावली पेश। वकील वादी उप० नहीं। दावा वकील वादी द्वारा डिफेक्ट करने पर Not press में खारिज किया जा चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र पर भी इसी तरह पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ति नियम से दर्ज होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़